बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

संचिका संख्या- 1/PMC/Court/19/2014...../ पटना, दिनांक...../

तार्किक आदेश

पथ निमार्ण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2046 (एस०) दिनांक 06.03.2014 के द्वारा प्रतिशत दर पद्धति में प्राप्त की जानेवाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र की दर (राशि) से 10% कम तक निर्धारित की गयी और 10% से ज्यादा कम दर उद्दत रहने वाली निविदाऐं अमान्य की गयी है। इसके आलोक में जल संसाधन विभाग के पत्रांक 293 दिनांक 27.03.2014 के द्वारा जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत नये अनुसूचित दर के प्रकशान होने तक 200 लाख से अधिक लागत वाले कार्यो के लिए निविदा आमंत्रण के पूर्व कार्य के परिमाण विपत्र की कुल लागत राशि से ओभर हेड चार्ज के रूप में अनुमान्यता के तहत 5% राशि घटाकर परिमाण विपत्र की राशि आकलित करने एवं तदनुसार निविदा आमंत्रण की कार्रवाई करने का निदेश संसूचित किया गया एवं इसके फलस्वरूप सम्वेदक को सम्पादित कार्य का भुगतान तैयार किये गये विपत्र के Abstract of cost में अनुमान्य कटौतियॉ एवं सम्वेदक द्वारा उद्धृत प्रतिशत दर के सामंजन के उपरान्त 5% की राशि घटाकर सम्वेदक को भुगतेय राशि की गणना किये जाने से संबंधित निदेश निर्गत किया गया।

जल संसाधन विभाग के स्तर से निर्गत पत्रांक 293 दिनांक 27.03.2014 को पुन: विचार करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC सं० 13991/2014 गंगाधर नारायणी कंस्ट्रक्शन प्रा० लि० बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया।

उक्त याचिका सं० 13991/2014 की सुनवाई के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 03.09.2014 को न्यायादेश पारित हुआ है। इस न्यायादेश में यह आदेश पारित है कि रोयल्टी एवं अन्य सामग्रियों के दर में कमी के चलते कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने वाले मुद्दे पर परिवादी अभ्यावेदन के माध्यम से प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग से अनुरोध कर सकते हैं। परिवादी यदि उक्त बिन्दु सचिव, जल संसाधन विभाग के संज्ञान में लाते हैं तो उनके द्वारा नियमानुकूल समुचित निर्णय लिया जायेगा।

उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है:-

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में आमंत्रित निविदाओं में निविदाकार के द्वारा प्राय: अनुसूचित दर से 15(पन्द्रह) प्रतिशत कम का दर उद्धृत किया जाता था। पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 2046 (S) दिनांक 06.03.2014 के माध्यम से उद्धृत दर की न्यूनतम अधिसीमा अनुसूचित दर से 10% कम के निर्धारण के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष

2013-14 में विभाग पर 5% अधिक का वित्तीय भार बढ़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई। उक्त परिस्थिति एवं विभिन्न कार्य विभागों में लागू अलग-अलग ओवरहेड-चार्ज के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधन विभाग के द्वारा पत्रांक 293 दिनांक 27.03.2014 के माध्यम से यह निर्णय लिया गया था कि नये अनुसूचित दर के प्रकाशन होने तक ओवरहेड चार्ज के रूप में अनुमान्यता के तहत 5% राशि देय होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मामले के समीक्षोपरान्त जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाने वाले अनुसूचित दर विश्लेषण में प्रत्येक मदवार 5% की कटौती ओभर हेड मद के अंतर्गत करने का आदेश पारित किया जाता है। विभागीय पत्रांक 293 दिनांक 27.03.14 से निर्गत आदेश इस हद तक प्रभावित होगा। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा।

ह0/-
(दीपक कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक-1/PMC/Court/19/2014 – 1085 पटना, दिनांक – 31/12/2014

प्रतिलिपि श्री प्रभात रंजन, अधिवक्ता, कमरा नं०-2, टेबुल नं०-1, एडवोकेट एसोसिएशन, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्र दिनांक 04.09.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.12.14
(विपिन बिहारी मिश्र)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

ज्ञापांक-1/PMC/Court/19/2014 – 1085 पटना, दिनांक – 31/12/2014

प्रतिलिपि सभी मुख्य अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.12.14
(विपिन बिहारी मिश्र)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

ज्ञापांक-1/PMC/Court/19/2014 – 1085 पटना, दिनांक – 31/12/2014

प्रतिलिपि प्रभारी, कमप्युटर कोषांग को सूचनार्थ एवं वेव साईट पर डालने हेतु प्रेषित।

31.12.14
(विपिन बिहारी मिश्र)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।